न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर०ए०एस०)**
प्रकरण संख्या – 682 / 2023
अनवान : –

1. कृष्ण कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति स्वामी निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
2. गोपाल स्वामी पुत्र ओम प्रकाश स्वामी जाति स्वामी निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. बलराम पुत्र हरिराम जाति स्वामी निवासी ढ़ण्ढेला हाल निवासी कर्मशाना तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
2. रामचन्द्र पुत्र हनुमान स्वामी जाति स्वामी निवासी ढ़ण्ढेला हाल निवासी कर्मशाना तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
3. सीताराम पुत्र हनुमान प्रसाद जाति स्वामी निवासी ढ़ण्ढेला हाल निवासी कर्मशाना तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
4. राजेन्द्र पुत्र हनुमान जाति स्वामी निवासी ढ़ण्ढेला हाल निवासी कर्मशाना तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
5. कमला पुत्री हरिराम जाति स्वामी निवासी ढ़ण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. गुड्डी देवी पुत्री हरिराम जाति स्वामी निवासी ढ़ण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. शांति पुत्री हरिराम जाति स्वामी निवासी ढ़ण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. ओम प्रकाश पुत्र हरिराम जाति स्वामी निवासी ढ़ण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
9. शारदा पुत्री ओम प्रकाश जाति स्वामी निवासी ढ़ण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
10. रोशनी देवी पुत्री ओम प्रकाश जाति स्वामी निवासी ढ़ण्ढेला तहसील नोहर।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

–प्रतिवादीगण

12. अनपुरी पुत्री हरिराम जाति स्वामी निवासी ढ़ण्ढेला तहसील नोहर

– तरतीबी प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955</u>

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा **वादी**
पेरोकार राज

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:03:32 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक: 13/10/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

मौजा ढ़ण्ढेला बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 301/267 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 7.4860 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 5 ता 9 एवं मृतका दाखा पत्नी हरीराम एवं मृतक हनुमान पुत्र हरीराम प्रत्येक के 1/8 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उपरोक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है।

प्रतिवादीया संख्या 5 ता 7 जो कि वादीगण की बुआ है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने भाईयों व उसके वारिसों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है तथा प्रतिवादी संख्या 8 उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहता तथा जो भी हक हिस्सा है वह अपने पुत्रों के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 8 ने कर्णपुरा तहसील भादरा की भूमि में अपनी हक रसी प्राप्त कर ली है एवं प्रतिवादीया संख्या 9 व 10 जो कि वादीगण की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं चाहती तथा अपना जो हक हिस्सा है वह अपने भाईयों के पक्ष में परितयाग कर दिया है बाद हक त्याग उपरोक्त भूमि में रोही मौजा ढ़ण्ढेला बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 301/267 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 7.4860 है0 भूमि में मृतका दाखा में वादीगण संख्या 1 ता 2 जो कि 2/7 हिस्सा भूमि पर ब0 हि0 ब0 काबिज है व 2/7 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 अकेले काबिज है व 2/7 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ब0 हि0 ब0 काबिज है व 1/7 हिस्सा भूमि पर तरतीवी प्रतिवादी संख्या 12 काबिज है एवं मृतक हनुमान पुत्र हरीराम के नाम दर्ज भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ब0 हि0 ब0 काबिज है व प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 के नाम दर्ज भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि में वादीगण संख्या 1 ता 2 ब0 हि0 ब0 काबिज है व 1/3 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है व 1/3 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ब0 हि0 ब0 काबिज है व प्रतिवादी संख्या 8 के नाम दर्ज भूमि में वादीगण संख्या 1 ता 2 ब0 हि0 ब0 काबिज है वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादीगण के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया [illegible] प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी [illegible] 10 ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:03:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

काई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 11 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो कि शामिल मिसल किया। प्रतिवादीया स0 12 को अधिवक्त वादी ने तर्क अंकित किया की प्रतिवादीया स0 12 का जो भी हक हिस्सा है उसके नाम दर्ज किया जावे। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2073–76 रोही मौजा ढंढेला बारानी बारानी खाता संख्या 301 प्रदर्श–1, जमाबंदी सम्वत 2075–2078 रोही मौजा 3 केआरपी खाता संख्या 132 प्रदर्श–2, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श–3, सदस्य प्रमाण पत्र ओमप्रकाश प्रदर्श–4, मृत्यु प्रमाण पत्र हनुमान प्रदर्श–5, मृत्यु प्रमाण पत्र सरस्वती पत्नी हनुमान प्रदर्श–6, मृत्यु प्रमाण पत्र दाखा प्रदर्श–7 आदि प्रदर्शित करवाये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में दाखा पत्नी हरिराम, मृतक हनुमान पुत्र हारीराम व प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। दाखा व हनुमान का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 12 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 10 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढ़ण्ढेला बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 301/267 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 7.4860 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 5 ता 9 एवं मृतका दाखा पत्नी हरीराम एवं मृतक हनुमान पुत्र हरीराम प्रत्येक के 1/8 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि वादी दाखा व हनुमान पुत्र हरिराम का देहान्त हो चुका है इनके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण है। प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 10 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादी के कथनों से प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 द्वारा स्वीकार किया जाकर इकबाल जवाब पेश किया जा चुका है तथा उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी के द्वारा प्रस्तुत सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा दाखा, ओमप्रकाश एवं हरिराम के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:03:32 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढ़ण्ढेला बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 301/267 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 7.4860 है0 भूमि में रोही मौजा ढ़ण्ढेला बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 301/267 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 7.4860 है0 भूमि में मृतका दाखा पत्नी हरीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 2 को 2/7 हिस्सा भूमि ब0 हि0 ब0 व 2/7 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 अकेले को व 2/7 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को ब0 हि0 ब0 व 1/7 हिस्सा भूमि का तरतीवी प्रतिवादी संख्या 12 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा मृतक हनुमान पुत्र हरीराम का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 का नाम कलमजन किया जाकर 1/3 हिस्सा भूमि का वादीगण संख्या 1 ता 2 को ब0 हि0 ब0 व 1/3 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 अकेले को व 1/3 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व प्रतिवादी संख्या 8 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 13/10/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:03:32 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 682 / 2023

अनवान : –

1. कृष्ण कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति स्वामी निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
2. गोपाल स्वामी पुत्र ओम प्रकाश स्वामी जाति स्वामी निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. बलराम पुत्र हरिराम जाति स्वामी निवासी ढ़ण्ढेला हाल निवासी कर्मशाना तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
2. रामचन्द्र पुत्र हनुमान स्वामी जाति स्वामी निवासी ढ़ण्ढेला हाल निवासी कर्मशाना तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
3. सीताराम पुत्र हनुमान प्रसाद जाति स्वामी निवासी ढ़ण्ढेला हाल निवासी कर्मशाना तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
4. राजेन्द्र पुत्र हनुमान जाति स्वामी निवासी ढ़ण्ढेला हाल निवासी कर्मशाना तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
5. कमला पुत्री हरिराम जाति स्वामी निवासी ढ़ण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. गुड्डी देवी पुत्री हरिराम जाति स्वामी निवासी ढ़ण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. शांति पुत्री हरिराम जाति स्वामी निवासी ढ़ण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. ओम प्रकाश पुत्र हरिराम जाति स्वामी निवासी ढ़ण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
9. शारदा पुत्री ओम प्रकाश जाति स्वामी निवासी ढ़ण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
10. रोशनी देवी पुत्री ओम प्रकाश जाति स्वामी निवासी ढ़ण्ढेला तहसील नोहर।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

–प्रतिवादीगण

12. अनपुरी पुत्री हरिराम जाति स्वामी निवासी ढ़ण्ढेला तहसील नोहर

– तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 682 सन 2023 निर्णय दिनांक

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उप[illegible] निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा [illegible] आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढ़ण्ढेला

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:03:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 301/267 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 7.4860 है0 भूमि में रोही मौजा ढ़ण्ढेला बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 301/267 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 7.4860 है0 भूमि में मृतका दाखा पत्नी हरीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 2 को 2/7 हिस्सा भूमि ब0 हि0 ब0 व 2/7 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 अकेले को व 2/7 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को ब0 हि0 ब0 व 1/7 हिस्सा भूमि का तरतीवी प्रतिवादी संख्या 12 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा मृतक हनुमान पुत्र हरीराम का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 का नाम कलमजन किया जाकर 1/3 हिस्सा भूमि का वादीगण संख्या 1 ता 2 को ब0 हि0 ब0 व 1/3 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 अकेले को व 1/3 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व प्रतिवादी संख्या 8 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/10/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:03:32 IST
Reason: SelfAttested